claims as well as the Government of India's claim in Category 'F'.

While it is the exclusive responsibility of the UNCC to examine and scrutinise and award payments to successful claimants, the Government of India have from time to time been impressing upon the Governing Council of the UNCC (comprising current members of the Security Council) to expedite settlement of Indian claims.

दूरसंचार तंत्र के विकास हेतु विदेशों के साथ करार

*55. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार तंत्र के विकास और विस्तार के लिए आगामी तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य के लिए सरकार को कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) क्या स्वीडन और अन्य देशों ने भारतीय दूरसंचार के विस्तार और विकास के कार्यक्रमों में भारत की सहायता करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य किन-किन देशों ने इस सम्बन्ध में रुचि दिखाई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) वर्ष 1995-96 के लिए सर्किलवार बजट प्राक्कलन संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए) वर्ष 1996-97 के बजट प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। सर्किलवार निधियों का आबंटन बजट की मंजूरी के बाद किया जाएगा। वर्ष 1997-98, जो नौवीं योजना का पहला वर्ष होगा, के लिए योजना के स्वरूप को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) स्वीडन ने भारत के विकास कार्यक्रमों और दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार में सहायता करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस और कनाडा से दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार और विकास के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) मद्रास में निष्पादित की जा रही नेटवर्क प्रबन्धन प्रणाली के लिए एक परियोजना जिसके लिए ऑस्ट्रेलियाई सहायता प्राप्त की गई है, के अलावा अभी तक कोई करार नहीं किया गया है।

निम्नलिखित प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं, जो सरकार के विचाराधीन हैं:—

जापान:

(i) ओ०ई०सी०एफ० ऋण की सहायता से दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव।

(ii) ओ०ई०सी०एफ० जापान की अनुदान सहायता से उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, गाजियाबाद, में सिंक्रोनस डिजिटल हैरारकी लैब की स्थापना का प्रस्ताव।

(iii) ओ०ई०सी०एफ० जापान की अनुदान सहायता से उपभोक्ता नेटवर्क में आप्टिकल फाइबर के इस्तेमाल के लिए उपस्कर की खरीद का प्रस्ताव।

कनाडा:

सी आई डी ए अनुदान की सहायता से उच्च स्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, गाजियाबाद, में प्रयोगशालायों के उन्नयन और प्रबन्धन संकाय को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव।

फ्रांस:

प्रयोगात्मक आधार पर सिंक्रोनस डिजिटल हैरारकी नेटवर्क की संस्थापना के लिए दूरसंचार विभाग के दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र और अल्काटेल सीआईटी, फ्रांस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विवरण

पूंजीगत कार्यों के संबंध में 1995-96 के बजट प्राक्कलनों के तहत निधियों का सर्किलवार आबंटन

(करोड़ रु० में)

क्रम सं०	सर्किल का नाम	राशि
1.	अण्डमान और निकोबार	4.00
2.	आंध्र प्रदेश	424.00
3.	असम	50.00
4.	बिहार	214.00
5.	गुजरात	414.00
6.	हरियाणा	175.00

क्रम सं०	सर्किल का नाम	राशि
7.	हिमाचल प्रदेश	138.00
8.	जम्मू और कश्मीर	40.00
9.	कर्नाटक	378.00
10.	केरल	461.00
11.	मध्य प्रदेश	429.00
12.	महाराष्ट्र	496.00
13.	उत्तर पूर्व	81.00
14.	उड़ीसा	141.00
15.	पंजाब	302.00
16.	राजस्थान	332.00
17.	तमिलनाडु	373.00
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	242.00
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	215.00
20.	पश्चिम बंगाल	153.00
21.	कलकत्ता फोन्स	132.00
22.	मद्रास फोन्स	234.00
23.	एमटीएलएल बंबई और दिल्ली	943.00

Allegations against Red Line bus operators

*56. SHRI ANANT RAM JAISWAL:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Red Line bus operators are involved in stabbing, rape, arson, pickpocketing etc. in Delhi; and

(b) if so, the steps taken to make the lives of commuters, especially the ladies, tension free?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. RAJASEKARA MURTHY): (a) Yes Sir. The Government have come to know of some such cases of stabbing. rape, pick-pocketing etc. in Redline buses.

(b) The following steps have been taken by the Delhi Police to check/ prevent crimes and thereby to make the lives of commuters especially ladies tension free:—

(i) Staff in plain clothes is detailed to check such incidents at bus stands as well as in Buses.

(ii) Buses are being checked frequently to prevent the above incidents.

(iii) Patrolling parties have been briefed to keep close watch at Bus Stands while patrolling in the areas.

(iv) Traps are being organised to apprehend the bad elements during peak hours.

(vi) Instructions have been issued to the staff concerned for taking immediate action under the provisions of law as and when such incidents comes to the notice.

(vi) Drive has been launched to make it compulsory for both the driver and conductor to wear PSV (Public Safety Vehicle) badges, which is given only to those who have undergone police verification.

Besides the State Transport Authority, Government of National Capital Territory of Delhi has taken the following steps:—

(1) In September, 1993, the STA issued public notice that whenever a case of molestation occurs in buses, the drivers or conductors shall stop the bus immediately and summon the police or take the bus to the nearest police post. This notice was issued among other things to enable the STA to take action against permit holders, drivers and conductors pending criminal investigation and decision of the Courts in cases involving rape, molestation etc. This instruction has been reiterated very recently also.